छोटे कारोबारियों का क्या हश्र करेगी विदेशी रिटेल?

हमें बताया जा रहा है कि खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के बाद वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ जाएगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा तेज होगी और इस कारण आम ग्राहक को पहले की तुलना में बेहतर सामान कम कीमत पर मिलेगा। इससे अंतिम लाभ भारत के आम आदमी को होगा। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश की भारत को सख्त जरूरत है। अत: जो लोग विदेशी पूंजी निवेश का खुदरा व्यापार में विरोध कर रहे हैं वे व्यापारियों का हित चाहते हैं। और उनके दिमाग की खिड़कियां बंद हैं। वे पिछड़ेपन के शिकार हैं। वे देश को बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते हैं।

देश में हर स्तर पर बढ़ रहे गुस्से को न्यायोचित ठहराना अगर गलत होगा तो उसके कारणों की मीमांसा से बचना आत्मवंचना होगी। जब व्यक्ति और समाज राजनेताओं और कानून-व्यवस्था के माध्यम से राहत और इंसाफ पाने में असफल रहता है तो उसकी अभिव्यक्ति साहित्य, कला तथा जन प्रदर्शनों के माध्यम से होती है। क्रुद्ध अमिताभ बच्चन की फिल्में और बाद में अनिल कपूर तथा नसीरुद्दीन शाह के नायकत्व में हताश जनमानस की हिंसक अभिव्यक्तियों के कथानकों वाली फिल्में देखीं और भुलायी जा चुकी होंगी लेकिन सरकार ने जो खुदरा व्यापार में ५१ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी है, उसकी तपिश से आने वाले कई वर्ष क्रोध और हताशा में यूं तपेंगे कि किसानों की तरह कस्बों और तहसीलों में छोटे व्यापारियों की आत्महत्याएं बढ़ने लगें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

खुदरा व्यापार में ५१ प्रतिशत पूंजी निवेश केवल अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों के खुदरा व्यापार तक सीमित नहीं रहने वाला। यह विदेशी पूंजी निवेश खाद्यान्न सहित आसमान के नीचे आने वाले हर विषय और उपयोगिता से जुड़े खुदरा व्यापार पर लागू होगा। इसमें फर्नीचर, जूते, वाहनों के पुर्जे, कम्प्यूटर, कपड़े, पालतू पशु, कागज, ईंधन, घड़ियां और सोने-चांदी तथा जेवरात के कारोबार शामिल हैं। इस क्षेत्र में ५१ प्रतिशत भारतीय आत्मनिर्भर तथा गैर-सरकारी २० हजार करोड़ की पूंजी निवेश वाले छोटे-छोटे कारोबारों से जुड़कर बिना सरकारी सहायता के अपने बूते पर अपने लिए रोजगार निर्माण करते हुए जुटे हैं। कल्पना कीजिए कि जितने लोग भारत में आमतौर पर कभी मतदान नहीं करते तथा जिस बड़ी संख्या का मत लेकर कभी कोई पार्टी सत्ता में आने का कीर्तिमान नहीं बना पायी है, उतनी बड़ी संख्या में भारतीय खुदरा व्यापार से जुड़े हैं।

हमें बताया जा रहा है कि खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के बाद वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ जाएगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा तेज होगी और इस कारण आम ग्राहक को पहले की तुलना में बेहतर सामान कम कीमत पर मिलेगा। इससे अंतिम लाभ भारत के आम आदमी को होगा। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश की भारत को सख्त जरूरत है। अत: जो लोग विदेशी पूंजी निवेश का खुदरा व्यापार में विरोध कर रहे हैं वे व्यापारियों का हित चाहते हैं। और उनके दिमाग की खिड़कियां बंद हैं। वे पिछड़ेपन के शिकार हैं। वे देश को बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते हैं।

हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि हम देश के करोड़ों छोटे, मध्यमवर्गीय दुकानदारों, व्यापारियों तथा अन्न पैदा करने वाले और उनके वितरण में भूमिका निभाने वाले छोटे-मझोले किसानों तथा आढ़तियों को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। वे देश के शत्रु नहीं हैं। हम उनके हित की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करने में पीछे नहीं हटेंगे। वे भारत के स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर समाज की रीढ़ हैं। इन सबको विदेशी कंपनियां खुदरा व्यापार में आते ही धीरे-धीरे लील जाएंगी और तब इन करोड़ों लोगों के पास सदियों से पारिवारिक परम्परागत व्यापार की धारा बदलने, कुछ नया धंधा करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा और इस प्रक्रिया में हताशा और कुंठा का शिकार होकर अनेक परिवार यदि आत्महत्या की ओर मुड़ जाएं तो यह वैसा ही दुर्भाग्य कहा जाएगा जैसे हम किसानों की हजारों की संख्या में आत्महत्या करते देखकर महसूस करते हैं।

विदेशी कंपनियां शुरुआत में कम दाम पर सामान बेचेंगी। यद्यपि उन पर बंधन लगाने की बात है कि वे ३५ प्रतिशत सामान स्वदेशी बाजार से खरीदेंगी लेकिन उन्हें अपने व्यापारिक व्यवहार को स्वयं प्रमाणित करने की भी छूट दे दी गयी है। यह छूट आज तक कभी किसी भारतीय कंपनी को नहीं दी गयी। अब यदि कोई विदेशी कंपनी अपने हितों को ध्यान में रखकर अपने कामकाज के बारे में खुद ही प्रमाण पत्र जारी कर दे तो उसकी जांच तथा गलत पाए जाने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। पहले विदेशी कंपनियां हजारों करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने की क्षमता रखती हैं तथा उनके पास अगले दस-पंद्रह वर्षों तक लगातार घाटा उठाने की भी क्षमता होती है। वे भारत में छोटे आढ़तियों तथा थोक में सामान की आपूर्ति करने वालों को चुटकी भर में अपना एजेंट बनाकर गांवों, कस्बों तथा शहरों में छोटे दुकानदानों की आपूर्ति श्रृंखला को ही सुखा सकती हैं। कई वर्षों तक कम दाम पर सामान बेचकर घाटा उठाते हुए भी अपनी दुकान चलाए रखने की क्षमता रखने के कारण वे भारतीय बाजार में स्पर्धा को ही समाप्त कर देंगी तथा उनका एकछत्र नियंत्रण ग्राहक को अपनी पसंद बहुत सीमित करने एवं विविधता के स्थान पर एकरूपता को चुनने पर मजबूर करेगा। आज अगर दिल्ली में किसी को करोलबाग में सामान पसंद नहीं आता तो वह लाजपत नगर या सरोजनीनगर जाकर पसंद की विविधता में से चुनने की स्वतंत्रता रखता है। वह भाव-तोल करने तथा अपनी पसंद के मूल्य पर अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की आजादी का निर्बाध उपयोग करता है। बड़े मॉल तथा जीवनोपयोगी हर वस्तु के बाजार में विदेशी पूंजी आने के बाद क्या हाल होता है यह दिल्ली के पंचकुइयां रोड़ तथा कीर्ति नगर के फर्नीचर और लकड़ी व्यापारियों से जाकर पूछना चाहिए। फर्नीचर बाजार में चीन का इतना सामान भर गया है जो कामचलाऊ और सस्ता होने के कारण ग्राहकों को ज्यादा भाता है। यह सारा सामान चीन से बना बनाया आता है तथा उसे केवल दिल्ली में खांचों में जोड़कर (असेम्बल) बेच दिया जाता है। इसमें फूलों के गुलदस्ते, सजावटी सामान भी शामिल है। इसकी वजह से हजारों बढ़ई, मिस्त्री तथा छोटे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। लकड़ी का जो व्यापारी अपनी दुकान के पिछले हिस्से मे बढ़ाई और अन्य कारीगर बिठाकर भारत की लकड़ी से भारत के कारीगरों द्वारा भारत के ग्राहकों के लिए फर्नीचर बनाता था, वह अब चीन के कारीगरों द्वारा चीन में बने फर्नीचर को भारत के ग्राहकों को बेचने वाला एक काउंटर क्लर्क बन गया है। धीरे-धीरे भारत के हर घर में चीन के प्रतीक, शैलियां एवं उनकी पसंद वाले सामान भारत की पसंद पर भारी पड़ जाएंगे और भारत की कारीगरी, शिल्प, नमूने तथा शैलियां जानने वाले तथा उनके अनुसार सामान बनाने वाले दुर्लभ हो जाएंगे।

सरकार ने २५ नवम्बर को वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा द्वारा जारी बयान में कहा है कि खुदरा व्यापार के विदेशी पूंजी निवेश वाले मॉल्स न्यूनतम १० लाख की जनसंख्या वाले नगरों में ही खोले जा सकेंगे और इस शहरी केंद्र के चारों ओर दस किलोमीटर की परिधि में भी सक्रिय हो सकेंगे। सरकारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि विदेशी पूंजी निवेश वाली कंपनियां अपने व्यापारिक व्यवहार का जो स्वयं प्रमाणीकरण करेंगी उसको आवश्यकतानुसार जांचा जा सकेगा। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सी एजेंसी जांचेगी और सही सूचना न मिलने पर क्या किसी कार्यवाही का प्रावधान होगा? सरकार ने यह भी कहा है कि कृषि उत्पादन की खरीद के लिए पहला हक सरकार का होगा। ये कोई नहीं बात नहीं है। यह अधिकार तो हमेशा से ही सरकार का ही रहता आया है लेकिन यदि प्रारंभ में अधिक कीमत पर विदेशी कंपनियों ने किसानों के उत्पादन की अधिकतम खरीद पहले से ही सुनिश्चित कर ली और किसानों का अन्न सरकार के पास न जाकर विदेशी कंपनियों के चैनल में जाना शुरूहुआ तो इसका न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खराब असर होगा बल्कि उत्पादन और आपूर्ति पर बड़ा पूंजी निवेश करने वाली विदेशी कंपनियां अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने वालीं फसलें उगाने के लिए किसान को मजबूर कर सकती हैं।

हजारों छोटे दुकानदारों के बजाए एक विराट राक्षसाकार दुकान के भयावह पथ पर देश को चलाने की कोशिश उन छोटी-छोटी जिंदगियों के भविष्य से खिलवाड़ है जिनकी वजह से देश में स्वायत्त अर्थोपार्जन का वो ढांचा जिंदा है जिसने अभी तक सरकार या किसी विदेशी सत्ता का भी मोहताज बनना नहीं सीखा।